COURT FEE पाँच रुपए FIVE RUPEES ५

COURT FEE पाँच रुपए FIVE RUPEES ५

भारत INDIA Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

भारत INDIA Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

186

4/14.मा

नकल प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नकल तैयारी का दिनांक	जारी होने का दिनांक	प्रतिलिपिक के हस्ताक्षर
26.6.13	01.07.2013	01.07.2013	01.07.2013

नकल आदेश दिनांक 6.6.13 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सोहावल, फैजाबाद वाद संख्या 50 अंतर्गत धारा 143ZAAL ग्राम अहमदपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल फैजाबाद बनाम शासन स्वदेशी महाविद्यालय द्वारा प्रबंधक ... — बनाम — सरकार आदि

नकल स्टाम्प शीट पर संख्या 2

जिलाधिकारी

न्यायालय उप जिलाधिकारी सोहावल–फैजाबाद।

वाद सं0:– 58

अन्तर्गत धारा–143 जे0ए0 ऐक्ट
ग्राम–मोकलपुर, परगना–मंगलसी
तहसील–सोहावल, जिला–फैजाबाद।

माधव सर्वोदय महाविद्यालय द्वारा प्रबंधक माधव प्रसाद
बनाम
गाँव सभा आदि

–:निर्णय:–

श्री माधव प्रसाद, प्रबंधक माधव सर्वोदय महाविद्यालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया गया है कि भूमि गाटा संख्या–324 व 328 स्थित ग्राम मोकलपुर परगना मंगलसी तहसील
सोहावल जिला फैजाबाद मे संचालित माधव सर्वोदय महाविद्यालय मोकलपुर अमोना रानीबाजार का
वह प्रबंधक है, जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः उक्त रकबे को धारा–143 जे0ए0एक्ट के
अंतर्गत अकृषिक/आबादी घोषित कर दिया जाय।

पत्रावली तहसीलदार को जाँच हेतु प्रेषित की गयी। तहसीलदार द्वारा नियम–135 ए पर
आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें यह कहा गया कि ग्राम मोकलपुर, परगना मंगलसी, तहसील
सोहावल जिला फैजाबाद की गाटा संख्या–328मि0/0.606 हे0 में माधव सर्वोदय महाविद्यालय की
बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें शिक्षण कार्य हो रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। गैर कृषि प्रयोजन
हेतु घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

जाँच आख्या प्राप्त होने पर ग्राम प्रधान/शासकीय अधिवक्ता को नोटिस भेजी गयी, जो
बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी भी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आयी।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी, खसरा, नजरी नक्शा, तहसीलदार सोहावल
फैजाबाद की आख्या आदि का अवलोकन किया। गाटा संख्या–328मि0/0.606 हे0 आवेदक के
नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 की धारा–143 में यह व्यवस्था दी
गयी है कि कोई खातेदार अपनी भूमि व उसके किसी भाग का प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन
में उपयोग कर रहा है, तो उतने अंश को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित कर दिया जाय।
तहसीलदार की जाँच आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में माधव सर्वोदय महाविद्यालय का
भवन बना हुआ है, जिसमें शिक्षण कार्य हो रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में
प्रश्नगत भूखण्ड गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम मोकलपुर, परगना मंगलसी, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद
की खतौनी सन् 1419–1424 फ0 के खाता सं0–122 पर अंकित गाटा सं0–328 मि0/0.606 हे0
को गैर कृषि प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता है। नियम–136 के अनुसार परवाना अमलदरामद
जारी हो तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही
पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक: 6.6.13

6.6.13

(के0के0द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी,
सोहावल–फैजाबाद

[illegible]